

दिल्ली परिवहन निगम
पेंशन सेल: आई०पी०एस्टेट
नई दिल्ली

सं० पी०सी०/ग्रुप-IV/37080/1144

दिनांक 19-11-2009

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 31-8-2009 जो कि अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित है संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आप की कार्यवाही(क्वालिफाइंग सर्विस 9 वर्ष 7 माह 10 दिन है) जो कि 10 वर्ष से कम है इसलिए आपको पेंशन रूलर्स के अनुसार पेंशन नहीं दी जा सकती। आपको इस तथ्य से भी अवगत कराया जाता है कि अपेक्षित जानकारी पहले भी अनेक बार दी जा चुकी है। यह सूचना DTC के Website पर सभी की सूचना के लिए डाल दिया है। मामला वित्त सलाहकार से स्वीकृत है।

ITD-MB/09/2344
19-11-09

आर.एन. कुल्ला
वरिष्ठ प्रबन्धक (पेंशन)

श्री जय कुमार जैन,
भू०पू० संवाहक, टो०स० 37080,
फ्लैट नं० 257 पाकेट 24,
सेक्टर.24, रोहिणी, दिल्ली

प्रतिलिपि: वरिष्ठ प्रबन्धक(आई०टी०) आपसे निवेदन है कि
उपरोक्त सूचना को DTC के Website
पर सभी की सूचना हेतु डाला जाये।

आर.एन. कुल्ला
18/11/09